भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2489

सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

संविदागत कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की नीति

2489. **श्री पुट्टा महेश कुमार:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविदा कर्मचारियों से संबधित देश भर की अदालतों में वर्तमान में लंबित और विचाराधीन मामलों की संख्या का राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वेतन, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, बकाया राशि का भुगतान न करना, अनुचित तरीके से सेवा समाप्त करना और सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दों सहित इन मामलों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के त्वरित समाधान के लिए कोई विशेष न्यायाधिकरण, फास्ट-ट्रैक तंत्र या विवाद समाधान समितियां स्थापित की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार संविदागत कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति/पहल शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): अपेक्षित जानकारी अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग): केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु एक सुस्थापित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र मौजूद है, जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के नियंत्रण में उप-मुख्य श्रम आयुक्तों और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का एक देशव्यापी नेटवर्क शामिल है। इस तंत्र को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन से उत्पन्न शिकायतों/दावों के निवारण/निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। विभिन्न श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, सीआईआरएम के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

जारी..2/-

(घ): केंद्र सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में इसके उन्मूलन का प्रावधान करने के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 विनियमित किया है। सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के ठेका कामगारों/श्रमिकों/कर्मचारियों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं को लागू कर रही है। संगठित क्षेत्र के कामगारों को मुख्य रूप से पाँच केंद्रीय अधिनियमों, अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के माध्यम से उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार असंगठित कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा और वृद्धावस्था सुरक्षा से संबंधित मामलों में कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को लागू कर रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग भी ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू कर रहे हैं, जैसे कि मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), और स्वास्थ्य एवं मातृत्व योजनाएँ (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। केंद्र सरकार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और निःशक्तता कवरेज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) भी लागू कर रही है। सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भी तैयार की है।

**

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विभिन्न क्षेत्रों में ठेका कामगारों का न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा													
क्र.सं.	क्षेत्रों का नाम	राज्य	तेल और गैस	बैंकिंग और बीमा	कोयला खानें	गैर-कोयला खानें	बंदरगाह	टेलीकॉम	रेलवे	वायु परिवहन	कृषि	विद्युत	अन्य
1	अहमदाबाद	गुजरात	24	10	0	0	0	130	0	1	0	0	86
2	अजमेर	राजस्थान	26	30	0	26	0	1	9	0	2	1	54
3	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	205	शून्य	शून्य	7	18	शून्य	शून्य	99	175
4	बगलुरू	कर्नाटक	शून्य	70	शून्य	2	शून्य	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	75
5	भुवनश्वर	ओडिशा	21	54	59	64	28	15	42	-	-	-	62
6	चडीगढ़	चंडीगढ़- 128 पंजाब - 132 हरियाणा- 176 हिमाचल प्रदेश- 98 जम्मू और लेह लद्दाख- 82	96	98	0	0	0	89	80	9	2	78	214
7	चन्नइ	तमिलनाडु और पांडुचेरी	3	18	0	4	0	2	2	2	4	7	23
8	कोचिन	केरल	13	5	0	4	10	47	3	7	0	0	19
9	दहरादून	उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश	5	8	0	0	0	0	1	1	0	0	23
10	धनबाद		0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	4
11	गुवाहाटी	आसनसोल-63 मेघालय -7 मणिपुर-1, अरुणाचल प्रदेश -0, त्रिपुरा - 0, मिजोरम -0, नागालैण्ड-0	18	3	0	0	0	0	1	1			48
12	हदराबाद	तेलंगाना -16; आंध्र प्रदेश शून्य	0	0	0	9	0	0	6	0	0	0	1
13	जबलपुर	मेघालय	45	21	185	117	0	37	85	10	0	27	248
14	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27	45	10	0	0	18	57	15	0	27	75
15	कर्नाटक	पश्चिम बंगाल	0	9	17		10	0	0	0	0	0	16
16	मुम्बइ	महाराष्ट्र और गोवा	43	64	0	0	22	15	86	22	0	0	177
17	नागपुर	महाराष्ट्र	0	40	5	3	0	0	0	0	12	0	22
18	नइ दिल्ली	दिल्ली	5	32	2	3	2	5	10	14	1	3	255
19	पटना	बिहार	80	36	2	2	0	12	39	7	8	331	297
20	रायपुर	छत्तीसगढ़	5	4	49	166	शून्य	शून्य	86	14	शून्य	37	213

अनुबंध II

दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या								
क्र.सं.	क्षेत्रों के नाम	राज्य	वेतन संबंधी	रोजगार संबंधी सुरक्षा	सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ	देयों में भुगतान न करने के संबंधी	अवैध बर्खास्तगी के संबंध में	सेवाओं के स्थायीकरण सेवाओं के संबंध में
1	**अहमदाबाद**	गुजरात	32	0	151	0	68	0
2	**अजमेर**	राजस्थान	32	2	13	24	78	0
3	**आसनसोल**	पश्चिम बंगाल	278	45	39	48	14	80
4	**बंगलुरू**	कर्नाटक	18	12	14	88	21	0
5	**भुवनेश्वर**	ओडिशा	19	-	109	42	158	17
6	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़ - 128 पंजाब - 132 हरियाणा- 176 हिमाचल प्रदेश - 98 जम्मू और लेह लद्दाख - 82	426	74	65	88	11	2
7	**चेन्नई**	तमिलनाडु और पुदुचेरी	14	12	5	20	10	4
8	**कोचीन**	केरल	14	10	13	25	41	5
9	**देहरादून**	उत्तराखण्ड और पश्चिम उत्तर प्रदेश	13	0	0	0	0	0
10	**धनबाद**		6	0	0	3	-	4
11	**गुवाहाटी**	असम-63 मेघालय -7 मणिपुर-1, अरुणाचल प्रदेशा -0, त्रिपुरा - 0, मिजोरम -0, नागालैण्ड-0	57	0	4	5	1	4
12	**हैदराबाद**	तेलंगाना -16; आंध्र प्रदेश -शून्य	16	0	0	0	0	0
13	**जबलपुर**	मध्य प्रदेश	178	79	395	123	0	0
14	**कानपुर**	उत्तर प्रदेश	15	3	39	13	26	14
15	**कोलकाता**	पश्चिम बंगाल	12	10	15	0	3	12
16	**मुम्बई**		428	464	5	0	197	0
17	**नागपुर**	महाराष्ट्र	6	25	15	36	0	0
18	**नई दिल्ली**	दिल्ली	97	60	67	77	15	16
19	**पटना**	बिहार	0	0	17	0	0	15
20	**रायपुर**	छत्तीसगढ़	12	शून्य	6	शून्य	3	शून्य